न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./89/2023

1. कतली देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी पिलोदा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. रामधन पुत्र मिश्री जाति जाट निवासी पिलोदा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. शिवराज पुत्र गोपी जाति जाट निवासी पिलोदा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. राधाकिशन पुत्र हमीरा जाति बैरवा निवासी पिलोदा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रसाल पत्नी रतन पुत्री भुरा जाति जाट निवासी पिलोदा तहसील भिनाय जिला केकड़ी हाल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. झमरी पत्नी रामराज जाति जाट निवासी पिलोदा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी–श्री मौहम्मद युसुफ
3 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा पीलोदा पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 19 में दर्ज खसरा नं. 1025 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 1026 रकबा 1.50, खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 795 रकबा 0.27 और खसरा नम्बर 798 रकबा 0.12 कुल किता 06 कुल रकबा 2.14 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया।। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 03 लगायत 04 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 तथा 03 लगायत 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 02 तथा 05 की और से अधिवक्ता श्री मौहम्मद युसुफ द्वारा वकालतनामा पैश कर जवाब मय फर्द दस्तावेज पैश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थीगणों से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते वहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में लिखित कथनों को दोहराते हुए, निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 का खेत जिसके ख0न0 1028 है, की पत्थरगढ़ी बाबत् माननीय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 36/2020 में दिनांक 28.07.2021 को पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किया गये है। परन्तु प्रार्थीयां तथा प्रार्थीयां के पति द्वारा जानबुझकर उक्त पत्थरगढ़ी आदेश की पालना नहीं होने दे रहे है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा आगे निवेदन किया गया कि चुकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.07.2021 को ही पत्थरगढ़ी बाबत् न्यायालय आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अतः पहले अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 1028 रकबा 1.64 ग्राम पीलोदा की पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम पीलोदा के खाता संख्या 19 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा पीलोदा पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 19 में दर्ज खसरा नं. 1025 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 1026 रकबा 1.50, खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 795 रकबा 0.27 और खसरा नम्बर 798 रकबा 0.12 कुल किता 06 कुल रकबा 2.14 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)